प्रकाशन योग्य

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील कमांक 336/2019

(एस.एल.पी. (आपराधिक) कमांक नं 9859/2013 से उत्पन्न)

मध्यप्रदेश शासन ..... अपीलार्थी

बनाम

ध्रुव गुर्जर और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

सहित

आपराधिक अपील कंमाक 337/2019

(एस.एल.पी. (आपराधिक) कमांक नं 9860/2013 से उत्पन्न)

मध्यप्रदेश शासन ..... अपीलार्थी

बनाम

टिन्कू शर्मा और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दोनो विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2. चूंकि, इन दोनों अपीलों में सामान्य विधि और तथ्य के प्रश्न उत्पन्न होते है, इसलिए इन दोनों अपीलों का इस समान निर्णय और आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

आपराधिक अपील @ एस.एल.पी. (आपराधिक) कमांक नं 9859/2013

3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा विविध आपराधिक याचिका कमांक 2572/2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.04.2013 से क्षुब्ध और असंतोष होकर जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिप्रार्थी/मूल अभियुक्त (तद्उपरांत अभियुक्त के रूप में संन्दर्भित किया जाता है) के पेश उक्त आवेदन को स्वीकार किया है और द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 307,294 और 34 भा.द.सं. से

दण्डनीय अपराधों से अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाहीयों को रद्द किया है जिससे मध्यप्रदेश राज्य ने यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

4. इस अपील के प्रमुख तथ्य यह है कि अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 307,294 और 34 के दण्डनीय अपराध के तहत पुलिस थाना कोतवाली, जिला दतिया में दर्ज की गई थी जो अपराध क्रमांक 552/12 के रूप में दर्ज की गई। यह अभिकथित किया गया कि लगभग 8.00 बजे रात में दिनांक 17.12.2012, जब चेन्नी उर्फ देवसिक यादव दूध बांटने के बाद राजघाट विराम स्थित अपने घर के सामने आया, उसी समय ध्रुव गुर्जर (आरोपी) 12 बोर की बंदूक से लैश होकर, सोनू, खमरिया, रोहित गुर्जर, अवधेश तिवारी और 3 से 4 अन्य व्यक्ति वहां आए और उन्होने अपने भतीजे को बाहर निकालने के लिए कहा और वह उसके भतीजे आनंद और आरोपी व्यक्तियों के साथ हुई हाथापाई की वजह से उसे मार देंगे। जब फरियादी ने उन्हे बताया कि मेरा भतीजा यहां नही है तब उसी समय सभी ने फरियादी को गंदी भाषा में गाली देना शुरू कर दिया और जब उसने उन्हे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, उसी समय सोनू खमरिया, रोहित गुर्जर, अवधेश तिवारी और 3–4 अन्य व्यक्तियों ने कहा कि ''इस कमीने को मार डालो। उसी समय ध्रुव गुर्जर ने उसे मारने के आशय से आग लगाई, जिसके छर्रे उसके शरीर के तीन स्थानों पर लगे थे, यानि उसके माथे पर, बाएं कंधे और बाएं कान पर, जिसकी वजह से उसे चोंटे पहुंची और खून भी इससे निकलने लगा फरियादी के अनुसार राम प्रताप यादव और इन्द्रपाल सिंह घटना स्थल पर मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी थी। आग का शोर सुनकर जब आस–पड़ोस के अन्य लोग वहां पहुंचे तब ये सारे लोग घटना स्थल से भाग गये।

4.1 एक रिपोर्ट के आधार पर, एक देहाती नालिसी क्रमांक 01/12 अंर्तगत धारा 307,294 और 34 भा.द.सं. दर्ज की गई। फरियादी के चोट पहुंचने के बाद उसकी एम.एल.सी. की गयी थी। उक्त रिपोर्ट की अर्न्तवस्तु के आधार पर, एक अपराध क्रमांक 552/12 धारा 307,294 और 34 भा.द.सं. के अंर्तगत दर्ज किया गया और आपराधिक विवेचना प्रांरभ की गई। तद्उपरांत विवेचना टीम घटना स्थल पर पहुंची ओर घटना स्थल का मानचित्र बनाया गया और सामग्री जप्त की गई।

4.2 कि 18.12.2012 को गवाहों के बयान द.प्र.सं. की धारा 161 के अंर्तगत लेखबद्ध किये गये। कि 21.03.2013 को पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

4.3 अभियुक्त ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत विविध आपराधिक याचिका क्रमांक 2572/2013 प्रथम सूचना से उत्पन्न अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियों को अभियुक्त और फरियादी के मध्य हुए समझौते के आधार पर रद्द कराने के लिए पेश की।

5. कि आलोच्य निर्णय और आदेश से उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियां इस आधार पर रद्द की है कि अभियुक्त और फरियादी के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा कर लिया है। जबकि अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के शिजी उर्फ पप्पू और अन्य बनाम राधिका और अन्य (2011) 10 एस.सी.सी. 705 में पारित निर्णय पर विचार और भरोसा किया है।

6. मध्यप्रदेश राज्य ने यह वर्तमान अपील अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 307,294 और 34 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराधों की आपराधिक कार्यवाहियों के रद्दीकरण के आलोच्य निर्णय और आदेश से क्षुब्ध और नाखुश होकर प्रस्तुत की है।

<u>आपराधिक अपील @ एस.एल.पी. (आपराधिक) क्रमांक नं 9860/2013</u>

7. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा विविध आपराधिक याचिका क्रमांक 1936/2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.03.2013 से क्षुब्ध और असंतोष होकर जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिप्रार्थी/मूल अभियुक्त (तद्उपरांत अभियुक्त के रूप में संन्दर्भित किया जाता है) के पेश उक्त आवेदन को स्वीकार किया है और द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 394 भा.द.सं., एम.पी.डी.वी.पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 से दण्डनीय अपराधों से अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाहीयों को रद्द किया है जिससे मध्यप्रदेश राज्य ने यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

8. इस अपील के प्रमुख तथ्य यह है कि 21.12.2012 एक ट्रक चालक जिसका नाम जानकी कुशवाह ने फरियादी मलखान सिंह यादव जो भी एक ट्रक चालक है को सूचना दी कि उसके ट्रक में कुछ समस्या हो रही है और वह सीतापुर गांव के पास है। फरियादी वहां पहुंचा और पाया कि उसका भाई मंगल अपने ट्रक के साथ वहां पहुंच गया था। यह भी अभिकथित है कि जब वे ट्रक की मरम्मत में व्यस्थ थे, चार व्यक्ति लगभग 5.00 बजे सीतापुर गांव तरह से आये और उन्होंने उन सब को लातो और घुस्सो से मारा पीटा था। और

नगद रूपये 7300/– और दो नोकिया मोबाईल जिनके सिम नं. 9411955930 और 7599256400, फरियादी मलखान सिंह यादव, रूपये 19000/– मंगल से और रूपये 16500/– जानकी कुशवाह से और एक इस्पाईस मोबाईल जिसकी सिम नं. 8756194727 छीन लिये थे। कि फरियादी पिछले सात–आठ सालो से उस मार्ग पर चल रहा है और कभी–कभी सीतापुर गांव में भी रूका। फरियादी के अनुसार सभी चारों व्यक्ति उससे परिचित थे और उनमें से एक नामजद आरोपी टिन्कू शर्मा अपने हाथ में 'आधि' लिये था, दूसरा वाला रवि शर्मा था जिसके हाथ में बंदूक थी और अन्य दो बबलू शर्मा और भुरारी थे। सारे अभियुक्त व्यक्ति फरियादी, मंगल और जानकी कुशवाह की लूट कारित करने के बाद सीतापुर गांव की ओर चले गये।

8.1 कि सुबह 6.30 बजे फरियादी पुलिस थाना गोराघाट, जिला दतिया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जो कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 159/12 अंर्तगत भा.द.सं. की धारा 394, एम.पी.डी.वी.पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 दर्ज की गई। इसके बाद विवेचना प्रांरभ की गई। तद्उपरांत विवेचना टीम घटना स्थल पर पहुंची ओर घटना स्थल का मानचित्र बनाया गया और गवाहों के बयान लेखबद्ध किये। इसके बाद, उन्होंने फरियादी और दो अन्य व्यक्तियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल दतिया भेजा, जहां चिकित्सक अधिकारी ने उनके शरीर के विभिन्न भागों पर साधारण चोटे पाई।

8.2 27.01.2003, पुलिस अभियुक्त व्यक्तियों के घर और गांव में पहुंची किंतु उनको ढूंढ नहीं सकी और आखिरकार आरोह पंचनामा तैयार किया। 14.03.2013 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया ने द.प्र.सं. की धारा 82 के अंर्तगत अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 16.04.2013 को उनके समक्ष उपस्थित होने की उद्घोषणा जारी की। इसीबीच में, 12.03.2013 को अभियुक्तगण उनके विरूद्ध धारा 394, भा.द.सं., एम.पी.डी.वी.पी.के.अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंर्तगत दण्डनीय अपराध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 159/2013 पुलिस थाना गोराघाट, जिला दतिया को रद्द कराने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में पहुंचे।

9. कि, आलोच्य निर्णय और आदेश से उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियां इस आधार पर रद्द की है कि अभियुक्तगण और फरियादी के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा कर लिया है। जबकि अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करते हुए उच्च

न्यायालय ने इस न्यायालय के शिजी के (उपरोक्त) मामले में पारित निर्णय पर विचार और भरोसा किया है।

10. मध्यप्रदेश राज्य ने यह वर्तमान अपील अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 394, एम.पी.डी.वी. पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों की आपराधिक कार्यवाहियों के रद्दीकरण के आलोच्य निर्णय और आदेश से क्षुब्ध और नाखुश होकर प्रस्तुत की है।

11. जहां तक एस.एल.पी (आपराधिक) क्रमांक 9859/2013 से उत्पन्न आपराधिक अपील का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण भा.द.सं. की धारा 307,294 और 34 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभिकथित किया गया कि अपराध कारित करने के समय अभियुक्त ध्रुव गुर्जर ने अपने अग्यनेयशस्त्र से वास्तविक फरियादी को जान से मारने के आशय से फायर किया और छर्रे उसके शरीर पर तीन जगह लगे यानि उसके माथे पर, बाएं कंधे पर और बाएं कान पर। घटना दिनांक 17.12.2012 को घटित हुई और विवेचनाकर्ता अधिकारी ने विवेचना शुरू की, 18.12.2012 को गवाहों के बयान द.प्र.सं. की धारा 161 के अंर्तगत लेखबद्ध किये। विवेचनाकर्ता अधिकारी ने साम्रगी को भी जप्त किया। विवेचनाकर्ता अधिकारी ने चिकित्सीय साक्ष्य भी इकट्ठा किया। यह प्रतीत होता है कि एक सह–अभियुक्त रोहित गुर्जर क्रमशः 31.03.2013 को गिरफ्तार किया गया। अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे दर्शित होता है कि वास्तविकता में यहां प्रतिवादि क्रमांक 1, मुख्य आरोपी – मूल आरोपी क्रमांक 1 को गिरफ्तार किया गया या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचना के दौरान, मूल आरोपी क्रमांक 1 ध्रुव गुर्जर तुरंत 05.04.2013 को द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत एफ.आई.आर. को रद्द कराने के लिए एक आवेदन पेश कर उच्च न्यायालय पहुंच गया। आवेदन के पेश करने के तुरंत बाद चौथे दिन आलोच्य निर्णय और आदेश दिनांक 08.04.2013 उच्च न्यायालय ने एफ. आई.आर. केवल इस आधार पर रद्द कर दी है कि फरियादी और अभियुक्तगण ने निपटारा कर लिया है। एफ.आई.आर. को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के शिजी के (उपरोक्त) मामले के निर्णय पर भरोसा करते हुए विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा दर्ज की गई टिप्पणीयों, ''जहां अभियुक्तगण को दोषी ठहराये जाने का कोई मौका नहीं है और मुकद्मे की पूरी कवायद निरर्थक होना तय है, अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुकद्मे यद्यपि

मुकद्मा शमनीय न हो सके, उच्च न्यायालय द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द कर सकता है।

12. अब, जहां तक एस.एल.पी (आपराधिक) क्रमांक 9860/2013 से उत्पन्न आपराधिक अपील का संबंध है, मूल अभियुक्तगण भा.द.सं. की धारा 394, एम.पी.डी.वी.पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराधों की आपराधिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे थे। घटना 21.12.2012 को कारित करना अभिकथित था। विवेचनाकर्ता अधिकारी ने तुरंत विवेचना प्रारंभ की। सारे अभियुक्तगण फरार थे। कि जब विवेचना जारी थी, मूल अभियुक्तगण 12.03.2013 को द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत एक आवेदन पेश कर उच्च न्यायालय पहुंच गये और एफ.आई.आर. को रद्द करने का निवेदन किया। कि 14.03.2013 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया ने द.प्र.सं. की धारा 82 के अंर्तगत अभियुक्तगण के खिलाफ 16.04.2013 को उनके समक्ष उपस्थित होने की उद्घोषणा जारी की। आलोच्य निर्णय और आदेश दिनांक 15.03.2013 के द्वारा उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफ.आई.आर. केवल इस आधार पर रद्द की है कि मूल फरियादी और अभियुक्तगण ने समझौता कर लिया है। इसलिए यह वर्तमान अपीले।

13. मध्यप्रदेश शासन के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता श्री वरूण कुमार चोपड़ा ने जोर देकर निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने इन दोनो प्रकरणों में संबंधित एफ.आई.आर. जो कि भा.द.सं. की धारा 307,294 और 34 और भा.द.सं. की धारा 394, एम.पी.डी.वी.पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 से संबंधित अपराध की है, को रद्द कर गंभीर त्रुटि कारित की है।

13.1 अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर निवेदन किया है कि वर्तमान मामलों में उच्च न्यायालय ने संबंधित एफ.आई.आर. को यांत्रिकी रूप से और फरियादी और अभियुक्तगण के मध्य हुए समझौता/निपटारे के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपरोधों की गंभीरता और अहमियत पर विचार तक नहीं कर रद्द किया है।

13.2 अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत शक्तियों का उपयोग करते हुए और संबंधित एफ.आई.आर. को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने इन तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि आरोपित अपराध समाज के विरूद्ध थे और दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत झगड़ो तक सीमित नहीं थे।

13.3 अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित एफ.आई.आर. को रद्द करते हुए इस न्यायालय के शिजी (उपरोक्त) मामले के निर्णय को पढ़ने में भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने यह जोर देकर निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय को उन सारे मामलों की सराहना करना चाहिए जहां फरियादी ने अभियुक्त के साथ समझौता/निपटारा कर लिया है उसका आवश्यक अर्थ यह नहीं है कि इसके परिणाम में दोषसिद्धि का कोई अवसर न हो और/या विचारण की संपूर्ण कार्यवाहीं का परिणाम निरर्थक कार्यवाहीं के रूप में हो। अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से निवेदन किया है कि यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी भविष्य में सहयोग न कर सकें और अभियुक्त से समझौता और निपटारे की दृष्टि में विचारण में तब भी अभियोजन अन्य गवाहों का परीक्षण कराकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को सिद्ध कर सकता है, यदि कोई, और/या चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर और/या अन्य साक्ष्य/वस्तु। यह निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना जारी थी और यहां तक कि गवाहों के बयान लेखबद्ध हो गये और चिकित्सीय साक्ष्य भी इकट्ठा कर लिया। यह निवेदन किया है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के शिजी (उपरोक्त) मामले के निर्णय पर विचार कर और भरोसा कर स्पष्ट रूप से गलती कारित की है।

13.4 अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एस.एल.पी. (आपराधिक) क्रमांक 9860/2013 से उत्पन्न ऐसी अपील में वास्तव में अभियुक्तगण अपराध की घटना कारित दिनांक से ही फरार थे और वास्तव में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया ने उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए द.प्र.सं. की धारा 82 के अंर्तगत अभियुक्तगण के विरूद्ध उद्घोषणा जारी की। यह भी निवेदन किया है कि अपराध कारित करने के कथित दिनांक और द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के बीच और जब ये लोग फरार थे, अभियुक्तगण फरियादी और अन्य गवाहों के हलफनामे प्राप्त करने के लिए कामयाब रहे जो की दिनांक 09.02.2013 के थे। यह निवेदन किया है कि यह सभी उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां और अभियुक्तगण के आचरण पर उच्च न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत अपनी अंर्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफ.आई.आर. को रद्द करते हुए विचार किया जाना आवश्यक था, और अधिक विशेषकर जब कथित अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ थे, लूट और आयुध अधिनियम

के अंर्तगत और वास्तव में अशमनीय थे। अपने तर्क समर्थन में अपीलार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों का अविलबंन लिया ज्ञान सिंह वि. पंजाब राज्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303; मध्यप्रदेश राज्य वि. दीपक (2014) 10 एस.सी.सी. 285; मध्यप्रदेश राज्य वि. मनीष (2015) 08 एस.सी.सी. 307; जे. रमेश कामत वि. मोहना कुरूप (2016) 12 एस.सी.सी. 179; मध्यप्रदेश राज्य वि. राजवीर सिंह (2016) 12 एस.सी.सी. 471; प्रभात भाई अहीर वि. गुजरात राज्य (2017) 9 एस.सी.सी. 641; और 2019 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 7, मध्यप्रदेश राज्य वि. कल्यान सिंह निर्धारित दिनांक 04.01.2019 आपराधिक अपील क्रमांक 14/2019।

13.5 उपरोक्त तर्क करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णयों पर निर्भर रहते हुए अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपीलो को मंजूर किये जाने का निवेदन किया है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपनी द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत अपनी अंर्तनिहित शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित एफ.आई.आर. के रद्दीकरण और अपास्त के आलोच्य निर्णय और आदेश को रद्द और अपास्त किया जाये।

14. प्रतिपक्षी अभियुक्त की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णयों और आदेशों का समर्थन किया है।

14.1 अभियुक्त की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से निवेदन किया है कि प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और जब फरियादी और अभियुक्त ने समझौता कर लिया और आपस में साहौदर्यपूर्ण ढंग से विवाद का निपटारा कर लिया और इसलिए जब उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि को दर्ज किये जाने की संभावना नहीं है और विचारण की संपूर्ण कार्यवाहीं निरर्थक होगी, उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत शक्तियों को ठीक ढंग से प्रयोग किया है और संबंधित एफ.आई.आर. को ठीक ढंग से रद्द किया है। अपने निवेदन के समर्थन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के मामलों के फैसले, जितेन्द्र रद्युवंशी वि. बबीता रद्युवंशी (2013) 4 एस.सी.सी. 58; अनीता मारिया डाईस वि. महाराष्ट राज्य (2018) 3 एस.सी.सी. 290; और सोशियल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वि. भारत संघ (2018) 10 एस.सी.सी. 443, का अविंलम्बन लिया है।

14.2 उपरोक्त तर्क करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णयों पर निर्भर रहते हुए प्रस्तुत अपीलो को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

15. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप से सुना गया।

16. प्रांरभ में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत अपीलों में उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा के अंर्तगत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए फरियादी और अभियुक्तगण के मध्य हुए समझौते के आधार पर केवल भा.द.सं. की धारा 307,294 और 34 के अंर्तगत अपराधों और भा.द.सं. की धारा 394 एम.पी.डी.वी.पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 से संबंधित अपराध की एफ.आई.आर. को रद्द किया है। यह कि फरियादी द्वारा उठाये गये कदम और समझौते को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय के शिजी (उपरोक्त), मामले के निर्णय पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि दर्ज करने का कोई मौका नहीं है और मुकदमे की विचारण की कार्यवाही निरर्थक होगी और, उच्च न्यायालय ने संबंधित एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया है।

16.1 हालांकि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि कथित अपराध द.प्र.सं. की धारा 320 के अनुसार अशमनीय थे। आलोच्य निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मामले के सुसंगत तथ्यो और परिस्थितियों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है उस से अधिक विशेषकर अपराधों की गंभीरता और इनके सामाजिक प्रभाव। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यांत्रिकी रूप से संबंधित एफ.आई.आर. रद्द की है। उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत या निजी दोष या और सामाजिक दोष और सामाजिक प्रभाव के बीच अंतर को बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट राज्य वि. विक्रम अनंततरी दोषी (2014) 15 एस. सी.सी. 29; के मामले में महसूस किया कि द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत शक्तियों का उपयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए न्यायालय का मुख्य कर्तत्व होना चाहिए की आरोपो का मर्म जानने के लिए सम्पूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करे और निपटारे का सार पता करें। जैसा महसूस किया गया यह न्यायाधीश का अनुभव है जो उनकी सहायता के लिए आता है और उक्त अनुभव का उपयोग देखभाल, सावधानी, परिधी और साहासी विवेक के साथ किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की छानबीन करने के लिए बिल्कुल भी कष्ट नहीं किया है और यांत्रिकी रूप से आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया है। यहां तक कि वर्तमान मामलों में भा.द.सं. की धाराओं 307,294 और 34 और भा.द.सं. की धारा 394, एम.पी.डी.वी.पी.के. अधिनियम की धारा 11/13 और आयुध

अधिनियम की धारा 25/27 से संबंधित अपराध की एफ.आई.आर. को रद्द किया है और वह भी द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत शक्तियों का उपयोग करते हुए इस न्यायालय के कई फैसलो में निर्धारित कानून के ठीक विपरीत है।

16.2 ज्ञान सिंह (उपरोक्त) मामले के खण्ड–61 में इस न्यायालय ने महसूस किया और निम्न अनुसार प्रतिपादित किया :–

> ''61. उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति बनती है उसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है : उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही या एफ.आई.आर. या परिवाद को रद्द करने की शक्तियां अपनी अंर्तनिहित क्षेत्राअधिकार का प्रयोग करते हुए और आपराधिक न्यायालय को दी गई धारा 320 के तहत अपराध को शमन करने की शक्ति से भिन्न है। अंर्तनिहित शक्तियां व्यापक स्तर पर बिना किसी वैधानिक सीमा के साथ होती है लेकिन इस शक्ति को पैवंद दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रयोग करना चाहिए : (i) न्याय के हितों की सुरक्षा हेतु, या (ii) किसी न्यायालय की प्रकिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु । किन मामलो में आपराधिक कार्यवाही या परिवाद या एफ.आई.आर. को रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी विहित नहीं की जा सकती है। यद्यपि, इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने से पहले उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के बारे में यथोचित ध्यान होना ही चाहिए । जघन्य और मानसिक अवसाद के गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि जैसे अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता है यहां तक कि पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अभियुक्त ने विवाद को सुलझा लिया है। इस प्रकार के अपराध प्रकृति में निजी नहीं है और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, पीड़ित और अपराधी के बीच विशेष कानून के तहत अपराधों के संबंध में कोई समझौता जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि; ऐसे अपराधों को शामिल करने वाली आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन आपराधिक मामलों में बड़े पैमाने पर और पूर्वव्यापी दीवानी प्रकृति से खारिजी के उद्देश्यो के लिए अलग–अलग आधार पर खड़े होते है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के सम्यव्यवहार या दहेज संबंधित वैवाहिक आदि

संबंधित से उत्पन्न अपराधों या पारिवारिक विवाद जहां मूल रूप से दोष व्यक्तिगत या निजी प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण मामले को हल कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता होने के कारण, दोषी होने की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामलों की निरंतरता अभियुक्त को गंभीर उत्पीड़न और प्रतिकूलता में डालेगी और पीड़ित के साथ समझौता पूर्ण और समपूर्ण निपटारा होते हुए भी आपराधिक मामले को रद्द न करके उसके साथ गंभीर अन्याय कारित होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या यह न्याय के हित के लिए अनुचित या न्यायसंगत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए या पीड़ित तथा दोषकर्ता के बीच समझौता होने के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने हेतु, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने क्षेत्र अधिकार में होगा।

16.3 ज्ञान सिंह (उपरोक्त), के मामले के निर्णय के विचार करने के बाद नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466 के मामले के पैराग्राफ 29 में, इस न्यायालय ने निम्न रूप से अभिव्यक्त किया :

''29 . उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, हम सरांशता और निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित करते है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय को मार्गदर्शित किया जाएगा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को उचित उपचार देने में और धारा 482 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करते हुए और समझौते को स्वीकार करते हुए या समझौते को मानने से इनकार करते हुए आपराधिक कार्यवाहियों के जारी रहने का निर्देश देगा।

29.1. द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से अलग किया जाना चाहिए जो न्यायालय को संहिता की धारा 320 के अंर्तगत अपराधों के शमन करने के लिए दी जाती है। निसंदेह संहिता की धारा 482 के अंर्तगत उच्च न्यायालय को उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की अंर्तनिहित शक्ति है

जो शमनीय नहीं हैं, जहां पक्षकारों ने आपस में मामला सुलझा लिया है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम से और सावधानी के साथ किया जाना है।

29.2. जब पक्षकार निपटारे पर पहुंच गए हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक (i) न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए को सुरक्षित करना होगा।

उच्च न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय पूर्वोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर राय बनानी होती है।

29.3. ऐसी शक्ति का उन अभियोगों में प्रयोग नहीं किया जाना है जिनमें जघन्य और मानसिक अवसाद के गंभीर अपराध या अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि शामिल हैं। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं है और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार विशेष कानून के तहत कारित किये गए अभिकथित अपराध जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध मात्र इस आधार पर रद्द नहीं किये जाने है कि पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता हो गया हैं।

29.4. दूसरी तरफ, उन आपराधिक मामलों में जो बड़े पैमाने पर और पूर्वव्यापी दीवानी प्रकृति के होते है, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक संव्यवहार से उत्पन्न होते है या वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होते हैं, या पारिवारिक विवादों को समाप्त किया जाना चाहिए, जब पक्षकारों ने अपने विवाद को आपस में खुद से हल कर लिया हो।

29.5. अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामलों की निरंतरता अभियुक्तों को बहुत उत्पीड़न और पक्षपात में डालेगी और आपराधिक मामलों को समाप्त नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

29.6. भा.द.सं. की धारा 307 के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आयेगें और इसलिए इन्हें आमतौर पर समाज के विरूद्ध अपराध माना जाता है और न कि केवल अकेले व्यक्ति के विरूद्ध। हांलाकि उच्च न्यायालय अपने निर्णय को केवल इसलिए बहाल नहीं करेगा क्योंकि एफ.आई.आर. में धारा 307 भा.द.सं. का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय को यह परीक्षण करने

के लिए खुला रहेगा कि क्या धारा 307 भा.द.सं. को मात्र इसमें शामिल करने के लिए या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किये है, जो यदि साबित हुआ, को धारा 307 भा.द.सं. के तहत आरोप साबित करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को यह खुला रहेगा, चोट लगने की प्रकृति के साथ जाए क्या इस तरह की चोट शरीर के महत्वपूर्ण/प्रतिनिधि भागों पर कारित की गई है, हथियारों की प्रकृति जो इस्तेमाल किये गये है, पीड़ित को कारित चोटों के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट सामान्यतः मार्गदर्शक कारक हो सकते है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या दोषी ठहराए जाने की प्रबल संभावना है या दोषी ठहराए जाने की संभावनाए दुरस्थ और धूमिल है। पूर्व मामले में यह निपटारे को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है और आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है जबकि बाद के मामले में उच्च न्यायालय के लिए पक्षकारों के बीच पूर्ण निपटारा अभिवाक् समझौते पर आधारित अपराध को स्वीकार करने के लिए यह स्वीकार्य होगा। इस स्तर पर, न्यायालय को इस तथ्य से भी प्रभावित किया जा सकता है कि पक्षकारों के बीच समझौता करने से उनके बीच सदभाव हो सकता है जिससे उनके भविष्य के रिश्ते में सुधार हो सकता है।

29.7. संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, यह तय करते समय निपटारे की समय–सीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन मामलों का निपटारा कथित अपराध के तुरन्त बाद हो जाता है और मामला अन्वेषणाधीन है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौता स्वीकार करने में उदार हो सकता है। यह इस कारण से है कि इस स्तर पर जांच अभी भी जारी है और यहां तक की चार्जशीट भी पेश नहीं की गई है। इसी तरह, उन मामलों में जहां आरोप लगाया गया है लेकिन साक्ष्य को शुरू करना अभी बाकी है या साक्ष्य अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों को अनुकूल तरीके से उपयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर उल्लेखित परिस्थितियों/साम्रगी का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन साक्ष्य लगभग पूर्ण हैं या प्रकरण साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद तर्क की अवस्था पर है, आमतौर पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, जैसा कि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय मामले को

गुणागूण पर निर्णित करने की स्थिति में होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या धारा 307 के तहत अपराध किया गया है या नहीं। इसी तरह, उन मामलों में जहां दोषसिद्धि विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही दर्ज की जाती है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की अवस्था पर है, केवल पक्षकारों के बीच समझौता एक ही आधार को स्वीकार करने का आधार नहीं होगा जिसके परिणाम स्वरूप अपराधी को दोषमुक्त किया जायेगा जो कि विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही दोषसिद्ध किया गया है। यहां धारा 307 भा.द.सं. के तहत आरोप साबित हो जाता है और दोषसिद्धि पहले से ही जघन्य अपराध के रूप में दर्ज की जाती है और इसलिए, इस तरह के अपराध के लिए दोषी पाए गए अपराधी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है।

16.4. परबतभाई अहीर (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय के पास फिर से इस पर विचार करने का अवसर है कि क्या उच्च न्यायालय द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार के उपयोग में एफ.आई.आर./परिवाद/आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है, इस बिंदु पर इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृखंला पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रस्तावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया :

(1) द.प्र.सं. की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंर्तनिहित शक्तियों को संरक्षित करता है कि किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए । यह प्रावधान नई शक्तियों को प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में अंर्तनिहित है।

(2) उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक कार्यवाहीं को इस आधार पर रद्द करने के लिए कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, एक समान नहीं है जहां क्षेत्राधिकार का आह्वान अपराध के शमन करने के उद्देश्य से किया जाता है। अपराध का शमन करते समय, न्यायालय की शक्ति द.प्र.सं. की धारा 320 के प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति आर्कषित होती है चाहे अपराध अशमनीय हो।

(3) एक राय बनाने में कि क्या धारा 482 द.प्र.सं. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के उपयोग में एक आपराधिक कार्यवाहीं या परिवाद को रद्द किया जाना चाहिए, उच्च

न्यायालय को यह मूल्याकंन करना चाहिए कि क्या न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति में निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना उचित होगा।

(4) जबकि उच्च न्यायालय की अंर्तनिहित शक्ति की व्यापक परिधि और पूर्णता है, इसे प्रयोग करने की आवश्यकता है (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए।

(5) इस निर्णय में कि क्या परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद को निपटा लिया है, अंततः प्रत्येक मामला उसके तथ्यों और परिस्थितियों पर घुमता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत विस्तार तैयार नहीं किया जा सकता है।

(6) धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में और इस अभिवाक् से निपटाने के दौरान कि विवाद सुलझा लिया गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का सम्यक ध्यान रखना चाहिए। जघन्य और गंभीर अपराधों जिनमें मानसिक अवसाद या अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती शामिल है को उचित रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता यद्यपि पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद को सुलझा लिया है। ऐसे अपराध वास्तव में निजी प्रकृति के नहीं है बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते है ऐसे मामलों में मुकदमें को जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दण्डित करने में लोगहित के अविरोही तत्व पर स्थापित किया गया है।

(7) गंभीर अपराधों से अलग, ऐसे अपराधिक मामले हो सकते है जिनमें किसी सिविल विवाद का भारी या प्रमुख तत्व होता है। जहां तक कि रद्द करने की अंर्तनिहित शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, वे अलग–अलग पायदान पर खड़े होते है।

(8) आपराधिक मामले जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या समान संव्यवहार जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति के साथ उत्पन्न होते है, वे रद्द करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों में आ सकते है जहां पक्षकारों ने विवाद सुलझा लिया हो।

(9) ऐसे मामले में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहीं को रद्द कर सकता है यदि विवादियो के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना काफी

दुरस्थ है और आपराधिक कार्यवाहीं की निरंतरता उत्पीड़न और प्रतिकूलता कारित करेगा; और

(10) उपरोक्त प्रस्ताव 8 और 9 में निर्धारित सिद्धांत का एक अपवाद है। आर्थिक अपराधों में राज्य का आर्थिक और वित्तीय हित निहित होता है जो कि निजी विवादियो के बीच मामले की परिधि से परे प्रभाव होता है। उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाहीं को रद्द करने से मना करना उचित होगा जहां अभियुक्त वित्तीय या आर्थिक कपट या कदाचार से संबंधित गतिविधि में लिप्त है। शिकायत किये गए कृत्य के परिणाम को वित्तीय या आर्थिक प्रणाली के संतुलन में तोलना होगा।

16.5. मनीष (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन और अभिनिर्धारित किया कि, जब धारा 307, 294 और 34 भा.द.सं. के अर्न्तगत अपराध (जैसा कि अपील @ एस.एल.पी. (आप.) क्रमांक 9859/2013) सहित धारा 25 और 27 आयुध अधिनियम (जैसा कि अपील @ एस.एल.पी. (आप.) क्रमांक 9860/2013), के शमन का प्रश्न आता है, बिना किसी कल्पना के, क्या इसे निजी पक्षकारों के बीच एक समान्य अपराध माना जा सकता है। यह महसूस किया गया है कि ऐसे अपराधों का समाज पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आगे यह भी महसूस किया गया है कि जहां अभियुक्तगण धारा 307,294 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के साथ–साथ आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के अंर्तगत विचारण का सामना कर रहे हो चूंकि अपराध निश्चित रूप से समाज के विरूद्ध है, अभियुक्तों को आवश्यक रूप से विचारण का सामना करना पड़ेगा और अपनी पूरी बेगुनाही साबित करके बाहर आना होगा।

16.6 दीपक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने विशेष रूप से महसूस किया कि धारा 307 भा.द.सं. के तहत अशमनीय अपराध है और धारा 307 के तहत अपराध पक्षकारों के बीच परस्पर एक निजी विवाद नहीं है किंतु समाज के विरूद्ध एक अपराध है, एक समझौते के आधार पर कार्यवाहीं को रद्द करना अनुज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार इस न्यायालय ने वर्तमान में कल्याण सिंह (उपरोक्त) के मामले के निर्णय में यह राय दी है।

17. अब जहां तक इस न्यायालय के निर्णय जिन पर अभियुक्तगण के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने अभिलंबन लिया है जो कि ऊपर उल्लेखित से संबंधित है कोई भी निर्णय वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त को कोई भी सहायता प्रदान नहीं करेगा। उपरोक्त वर्णित सभी

प्रकरणों में वैवाहिक विवाद था और/या विवाद मुख्य रूप से दीवानी विवाद था, और/या विवाद जहां दोष मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत है।

18. अब जहां तक इस न्यायालय के शिजी (उपरोक्त) के मामले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, एफ.आई.आर. को रद्द करते समय यह महसूस करते हुए कि फरियादी ने अभियुक्त के साथ समझौता किया है, वह दोषसिद्धि दर्ज करने की कोई संभावना नहीं है, और/या आगे का विचारण करने की प्रक्रिया निरर्थत होगी से संबंधित है, हमारी राय यह है कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित आधार पर एफ.आई.आर. को रद्द करने में स्पष्ट रूप से भूल की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस मामलों के तथ्यों पर कथित निर्णय को गलत तरीके से पढ़ा या गलत तरीके से लागू किया है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करना चाहिए की प्रत्येक मामले में जहां फरियादी ने आरोपी के साथ समझौता कर लिया है, वहां कोई दोषी नहीं हो सकता है। ऐसे अवलोकन काल्पनिक है और कई बार राय देना जल्दबाजी है। वर्तमान प्रकरण में यह हो सकता है कि अभियोजन अभी भी ठोस साक्ष्य और अन्य गवाहों का परीक्षण कराकर दोष सिद्ध कर सकता है और सुसंगत साक्ष्य/वस्तु अधिक विशेष रूप से जब विवाद एक वाणिज्यिक लेनदेन का नहीं है, और/या दीवानी प्रकृति, और/या एक निजी दोष नहीं है। शिजी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह पाया कि मामले की उत्पत्ति पक्षकारों के मध्य दीवानी विवाद से हुई थी, जो विवाद उनके द्वारा हल कर लिया गया और इसलिए इस न्यायालय ने कहा कि, ''ऐसा होना, अभियोजन की निरंतरता, जहां फरियादी आरोपो का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है..... एक निरर्थक अभ्यास होगा जो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। उपरोक्त वर्णित मामले में यह भी महसूस किया गया 'कि यद्यपि दोनो कथित चश्मदीद गवाह फरियादी से निकट संबंधित थे हांलाकि उन्होंने अभियोजन संस्करण का समर्थन नहीं कर रहे थे' और इस न्यायालय ने महसूस और अभिनिर्धारित किया, 'कार्यवाहियों की निरंतरता एक खाली औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं है और द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तगत ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से न्याय की प्रक्रिया के दूरूपयोग को रोकने के लिए और जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की फिजूल प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित रूप से यहा तक महसूस किया है :

> ''18. ऐसा कहने के बाद, हमें यह शीघ्रता से जोड़ना चाहिए कि द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपने आप में प्रचुर शक्तियां है, यह उच्च न्यायालय के लिए अंत्यत सावधानी

और सतर्कता के साथ प्रयोग करने के लिए बाध्यकर बनाती है। शक्ति की विस्तृतता और प्रकृति स्वयं यह मांग करती है कि उच्च न्यायालय को इनका प्रयोग केवल अल्प रूप से और उन मामलों में करना चाहिए जिनके कारणों को लेखबद्ध कर इस स्पष्ट मत पर हो की अभियोजन की निरंतरता कानून की प्रकिया का एक दूरूपयोग मात्र के अलावा कुछ नहीं होगा। न तो यह हमारे लिए आवश्यक है और न ही उपयुक्त है कि उन स्थितियों का उल्लेख करें जिनमें धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायोचित हो सकता है। कुल मिलाकर हमें यह कहने की आवश्यकता है कि शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां उस शक्ति का प्रयोग करने के इनकार से विधि की प्रकिया का दुरुपयोग होने का परिणाम हो सकता है। उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप में इनकार करने को न्यायोचित ठहराया जा सकता है यदि उसे साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए कहा जाये तो वह धारा 482 द.प्र.सं. के तहत याचिका से निपटने के दौरान एक अपीलीय न्यायालय की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है उपरोक्त के अधीन, उच्च न्यायालय को यह ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा, क्या यह एक उचित मामला है जिसमें अंर्तनिहित शक्तियों को लागू किया जा सकता है।''

18.1 अतः उक्त निर्णय उन प्रकरणों में लागू किया जा सकता है जो पक्षकारों के मध्य दीवानी विवाद से उत्पन्न हुआ है; पक्षकारों ने विवाद को सुलझा लिया है; कि अपराध बड़े पैमाने पर समाज के विरूद्ध नहीं है, और/या और इसका समाजिक प्रभाव नहीं हो सकता है; विवाद एक पारिवारिक/वैवाहिक विवाद इत्यादि है। उपरोक्त वर्णित निर्णय उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां कथित अपराध बहुत ही गंभीर और घोर प्रवृति के है जिनका समाजिक प्रभाव है जैसे भा.द.सं. की धारा 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंर्तगत है। इसलिए हमारे मत में सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर बिना उचित विचार किए उच्च न्यायालय ने संबंधित एफ.आई.आर. यांत्रिक रूप से रद्द करने में केवल समझौते को दृष्टिगत रखते हुए, यह दोषसिद्धि दर्ज करने का कोई मौका नहीं है, और/या अग्रीम विचारण एक निरर्थक कार्यवाहीं होगी, तात्विक त्रुटि कारित की है। उच्च न्यायालय ने इस मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर बिना विचार कर, इस न्यायालय के शिजी (उपरोक्त) मामले के उपरोक्त वर्णित निर्णय के यांत्रिकी रूप से विचार किया है।

18.2 अन्यथा, एस.एल.पी. (आप.) क्रमांक 9860/2013 से उत्पन्न होने वाली अपील के तथ्य और परिस्थितियों में एफ.आई.आर. को रद्द कर उच्च न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। यहां ध्यान दिये जाने योग्य है कि 21.12.2012 को घटित हुए कठित अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.12.2012 को दर्ज की गई। सभी आरोपी फरार थे। लगभग तीन महीने की अवधि के बाद वे एक याचिका द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर कर उच्च न्यायालय पहुंचे अर्थात 12.03.2013। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने द.प्र.सं. की धारा 82 के अंर्तगत अभियुक्तगण के विरूद्ध 14.03.2013 को एक उद्घोषणा जारी की। इसी बीच अभियुक्तगण फरियादी के हलफनामें और दो गवाहों दिनांक 09.02.2013 को हासिल करने में सफल रहे और उच्च न्यायालय ने 15.03.2013 को एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया अर्थात याचिका दायरी के तारीख दिनांक से तीन दिवस की अवधि के भीतर। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण के पूर्वत्त आचरण पर भी विचार नहीं किया है। अभिलेख पर यह आया है कि अभियुक्तगण गंभीर अपराधों के लिए कई मामलों के विचारण का सामना कर रहे थे। द.प्र.सं. की धारा 482 के अंर्तनिहित शक्तियों के प्रयोग करते हुए और आपराधिक कार्यवाहियां/परिवाद/एफ.आई.आर. के खारिजी के लिए आवेदन पर विचार करते हुए उपरोक्त वर्णित सुसंगत कारक होगे। वास्तव में, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को अधिक सर्तकता बरतनी चाहिए थी और सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए था जिनके तहत अभियुक्तगण ने समझौता कर लिया। उच्च न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित सुसंगत परिस्थितियों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

19. उपरोक्त को देखते हुए और कारणों को अभिकथित करते हुए यह दोनो अपीले सफल होती है और इस कारण से स्वीकार की जाती है इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णयों और आदेशों को अपास्त किया जाता है, और संबंधित अभियुक्तगण के खिलाफ संबंधित आपराधिक कार्यवाहियां/विवेचना/एफ.आई.आर. जारी रखी जाए और उन्हें कानून के अनुसार निपटाया जायेगा।

.....न्यायमूर्ति
(एल. नागेशवर राव)

नई दिल्ली; .....न्यायमूर्ति

फरवरी 22, 2019 (एम.आर.शाह)

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उददेश्य के लिये नही किया जा सकेगा। सभी व्यावाहारिक एवं कार्यालयीन उददेश्यों के लिये, निर्णय का अग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उददेश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।